

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (168)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 06.11.2017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (71)एम.ई./ग्रुप-1/1990 दिनांक 31.10.2017 द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, शिशु औषध को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में अंकित अवधि तक कार्यग्रहण काल में अवधि में वृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पदस्थापन स्थान	मेरिट संख्या	अभिवृद्धि हेतु समय
1.	डॉ० लवदीप डोगरा, सहायक आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।	एम-05	15.12.2017


उक्त चिकित्सक की कार्यग्रहण अवधि वृद्धि के समाप्ति पर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से


(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।


(अनुराग हरित)
अनुभागाधिकारी